संख्याः 28/XVII(2)/2008-09(16)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला स0, बाल विकास एवं सै0 क0 अनुभाग देहरादूनः दिनांक 21 फरवरी, 2008

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत ब्लॉक प्रतिनिधियों को मानदेय दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक संख्याः–2001/सै.क./मानदेय/ब्लॉक प्र.नि./दिनांक 02 फरवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत ब्लॉक प्रतिनिधियों को मानदेय दिये हेतु अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रुपये 7.60 लाख (रुपये सात लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
4. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 1044/XXVII(1)/2007 दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 एवं 599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 मे उल्लिखित अन्य शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
7. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
8. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के

आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–03–सैनिक कल्याण–0301–सैनिक मुख्यालय के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1060(P)/XXVII(3)/2008, दिनांक 28 फरवरी, 2008 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: II (1)/XVII(2)/2008-09(46)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।